राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक ९९९ / 241 / NULM / तीन / 2001 / EST&P-NSDC-2017-18 दिनांक 14-3-18

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   जनपद– लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर, बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या (फैजाबाद), मुजफ्फरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, जालौन, अमरोहा, जौनपुर, शाहजहॉपुर एवं सम्भल उ0प्र0।

2. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर / परियोजना निदेशक,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई / जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   जनपद– लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, गोरखपुर, बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, जौनपुर, शाहजहॉपुर एवं सम्भल उ0प्र0।

विषयः– DAY-NULM के घटक SUSV के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराये जाने हेतु TVC की बैठकों के आयोजन के संबंध में।

महोदया / महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV) के अन्तर्गत चयनित एजेन्सियों के द्वारा शहरों के समस्त पथ विक्रेताओं के सर्वे उपरान्त शहर का एक शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किया जा रहा है।

उपरोक्त अधिकांश शहरों में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने का कार्य पूर्ण हो रहा है। पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान को टाउन वेडिंग कमेटी (TVC) द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुरुप उपरोक्त सभी शहरों में टाउन वेडिंग कमेटी (TVC) का गठन हो चुका है। एजेन्सी द्वारा तैयार किये गये शहरी पथ विक्रेता प्लान (CSVP) को TVC से अनुमोदन के लिए TVC की बैठकों का आयोजन कराने हेतु संबंधित नगर निकायों से समन्वयन करते हुए TVC की बैठकों का आयोजन करते हुए प्लान का अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। TVC से अनुमोदित प्लान को प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता एवं पुर्नस्थापन का कार्य सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है, जिसकी निरन्तर समीक्षा मा0 मंत्री जी एवं शासन स्तर से की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त समस्त कार्यवाही समयबद्ध तरीके से सम्पादित की जाये।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय नगर निकाय, उ0प्र0।
3. उपरोक्त शहरों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, उ0प्र0।
4. उपरोक्त शहरों के जनपदों के परियोजना अधिकारी, डूडा को इस आशय से कि संबंधित नगर निकायों एवं संबंधित एजेन्सी से समन्वय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. संबंधित शहरों में कार्य कर रही एजेन्सी।
6. वेब मास्टर, सूडा, को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक